(54)

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

प्र0क0 एक–निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/0850

1– हबीव खां पुत्र खुशाल खॉ
2– माधव रजक पुत्र गवूले रजक
3– दयाराम रजक पुत्र बवूले रजक
तीनों ग्राम खरौं तहसील लिधौरा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– राजबहादुर पुत्र घनश्यामदास राय
ग्राम खरौं तहसील लिधौरा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश
2– कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 – श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत्त स्यावनी तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 5 अ12/2016–17 में पारित आदेश दि. 25–11–16 तथा उसी आधार पर नायव तहसीलदार वृत्त स्यावनी तहसील लिधौरा के प्र.क. 2 अ 70/17–18 में के दिये गये नोटिस दि. 19–12–17 के विरूद्ध)

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

महोदय

यह कि मूल विवाद ग्राम खरों स्थित भूमि सर्वे कमांक 1284/6 का है क्योंकि इस भूमि के अंश भाग पर लोक निर्माण विभाग की पक्की सड़क है एंव इसी भूमि के अंश भाग पर आवेदकगण के पीढ़ियों से मकान बने हुये है, जिन्हें अनावेदक कमांक–1 स्वयं स्वीकार कर रहा है।

यह कि अनावेदक कमांक 1 ने तहसील न्यायालय में ग्राम खरों स्थित भूमि स0 क0 1284/1 1284/2/2, के सीमांकन का आवेदन दिया। हलका पटवारी ने आवेदकगण को एंव लोक निर्माण विभाग को सूचना दिये बिना कब सीमांकन कर दिया,

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/850

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जी.पी. नायक उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि ग्राम खरौ स्थित भूमि खसरा नं. 1284/1 एवं 1284/2/2 रकवा क्रमश: 0.827 एवं 0.162 हे. का सीमांकन हल्का पटवारी खरौ द्वारा दिनांक 25.11.2016 को आवेदक एवं सरहदी कृषकों की उपस्थिति में जरीब द्वारा नापकर विधिवत सीमांकन किया गया। जिसकी पुष्टि करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण निगरानी ग्राह्य की जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधार हीन होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	